न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—100/2018/225आर.टी.एक्ट (2018/00100)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन सिंह जाति रावत निवासी नेड़लिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मोहन पुत्र नानू
2. श्रीमती राधा पत्नी नानू
3. गोपाल पुत्र नानू
4. सोहन पुत्र नानू समस्त जाति रावत निवासीगण नेड़लिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर
5. श्रीमती तारादेवी पुत्री नानू पत्नी श्री सोबादारसिंह जाति रावत निवासी कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर

रेस्पोडेल्टस

6. मदनसिंह पुत्र नानू जाति रावत
7. शंकर सिंह पुत्र श्री छोगा
8. किशन सिंह पुत्र श्री छोगा
9. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री छोगा
10. अर्जुन पुत्र श्री भोमा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नेड़लिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर
11. रविकान्त शर्मा पुत्र सत्यानारायण
12. भूमिका पुत्री रविकान्त शर्मा
13. केश्वाचार्य पुत्र रविकान्त शर्मा
14. शशिकान्त शर्मा पुत्र रविकान्त शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण विराह चोक छोटी बस्ती, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जी पुष्कर
16. उप पंजीयक महोदय, पुष्कर

तरतीबी रेस्पोडेल्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2018 विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर, प्रकरण सं० 7/ 2018,

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 05.
3. श्री मदनपुरी गोस्वामी वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 06.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या15, 16.
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 14 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:–04.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद–पत्र में अंकित अभिवचनों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नेड़लिया स्थित वर्किंग खसरा नम्बर 638 रकबा 1–19–10 बीघा आधार खसरा नम्बर 892 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 893/1107 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 894/1108 रकबा 0.16 रकबा है0 कुल किता 3 रकबा 0.32 है. भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार नानू, पॉच, वीरमा व मोटा पुत्रगण स्व. धर्मा थे जिनका उक्त भूमि में संयक रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जो वर्किंग जमावंदी सम्वत 2041 के सिद्ध है तथा कथन किया कि नानू पुत्र धर्मा ने अपने शेष भाईयो से उक्त आराजी क्रय कर ली जिसके आधार क्रेता नानू के नाम नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 25.01.1993 को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा क्रेता(नानू पुत्र धर्मा)के नाम अंकन कर दिया किन्तु हाल जमाबंदी (आधार जमावंदी) सम्वत 2070 से 2073 में से रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पिता एवं पति नानू के 1/4 हिस्से के स्थान पर बिना किसी आधार पर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकन कर दिया उक्त अंकन को दुरूस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलांट/अप्रार्थीया को स्थायी निषेधज्ञा से पावंद फरमाया जावें तथा साथ ही निवेदन किया कि अप्राथीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिसटर कर परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस समायत कर अपीलांट/अप्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 892 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 893/1107 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 894/1108 रकबा 0.16 रकबा है0 कुल किता 3 रकबा 0.32 है. भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 को पारित कर विवादित आराजी के सम्बन्ध में आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलांट/अप्रार्थीया को गैर–कानून रूप से पावंद करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 14 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात नानू पुत्र धर्मा जाति रावत ने मंगला पुत्र खीया को तथा मंगला पुत्र खीया की धर्म पत्नी रूकमा व मोहन सिंह पुत्र नानू जाति रावत ने अपीलांट/अप्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात जरिये पंजीकृत

विक्रय–पत्र के माध्यम से बेचान की जा चुकी है तथा उक्त बेचान नामों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम नामान्तकरण संख्या 608 तस्दीक दिनांक 14.05.2012 को स्वीकृत कर नामान्तकरण का अंकन जमाबंदी सम्वत 2065–2084 की खाता संख्या 225 अंकन किया जा चुका है अर्थात वादग्रस्त आराजीयात नानू पुत्र धर्मा द्वारा विक्रय करने के कारण स्वयं खातेदार काश्तकार तथा उक्त खातेदार काश्तकार के विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात गें से धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन व अवलोकन किये बगैर अन्तर्गत अपील पारित किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पति/पिता का 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 638 में नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 25.11.1993 से सिद्ध है परन्तु उपरोक्त इन्द्राज के पश्चात अमल में आई हाल जमाबंदी आधारभूत सम्वत 2070 से 2073 में उपरोक्त 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त इन्द्राज किस आधार पर दर्ज किया गया इसका कोई उल्लेख जमाबंदी में नही है। जिसकी दुरूस्ती के लिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद वास्ते उद्घोषणा खातदोर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2018 को विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने के कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने से अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति कारित नही होती है। यदि उक्त स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है तो प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्टस को अपूरणीय क्षति उत्पन्न होगी है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अन्तरिम स्थगन आदेश से पाबंद किया है जो विधि सम्मत नही है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, पुष्कर के द्वारा दिनांक 20.03.2018 को पारित अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.4.2021 को अभिभाषक प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 3 से 11 की तलबी नोटिस पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रकरण में दिनांक 14.03.2022 तक पेशी दी जाती रही है यानि की विचाराधीन रखा गया है, जो विधि सम्मत नही है। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश पारित होने पर उस आदेश का अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों के माफिक 30 दिन के भीतर–भीतर निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3ए के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक रूप से 30 दिवस में अन्तिम निस्तारण करें अन्यथा आदेश दिनांक 20.03. 2018 स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8. **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को उपरोक्त निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3ए के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक रूप से 30 दिवस में अन्तिम निस्तारण करें अन्यथा आदेश दिनांक 20.03.2018 स्वतः निरस्त समझा जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर